न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/08/2021	2021/00269	01.01.2021	27.06.2022

01. अतरसिंह पुत्र श्री रम्मल यादव, जाति अहीर निवासी खातनखेड़ा, तहसील बहरोड, जिला अलवर राज0।

—अपीलांट

बनाम

01. सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड़, जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 10.08.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 105/2020

उपस्थितः—

1. श्री विक्रम सिंह

—वकील अपीलान्ट

—:निर्णय:—

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 10.08.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम खातनखेडा के आराजी खसरा नम्बर 474 रकबा 0.30 है0 के 0.0036 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने पर की बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि खातनखेडा के आराजी खसरा नम्बर 474 रकबा 0.30 है0 के 0.0036 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16.07.2020 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति नहीं माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 10.08.2020 अपास्त फरमाया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 10.08.2020 के विरूद्व दिनांक 31.12.2020 को पेश किया। जो करीब 4 माह 21 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। फिर भी न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 31.12.2020 को भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार बहरोड़ द्वारा अपीलान्ट का अतिक्रमण होने पर अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली एवं पेनल्टी से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार बहरोड़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)